

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 1997

संख्या सां० का० नि० 54/संवि०/अनु० 309/97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I सम्बन्ध

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला संक्षिप्त नाम ।
 (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1997 कहे जा सकते हैं ।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अरेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ ।

- (क) "बोई" से अभिप्राय है, अर्थात् सेवा प्रबोध बोई, हरियाणा ;
- (ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ;
- (ग) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ;
- (घ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में प्रदोषिति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदवीरी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (इ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
- (ज) "संस्था" से अभिप्राय है,—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई अन्य संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;
- (ঃ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित बोई विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीका के परिणामस्थरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या
 - (iii). कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त घोषित विद्या संस्था हो ;
- (চ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप-ग) सेवा ;

(ज) "अवीनत्यकार्यालय" से अभिशाव है, महादिवाह के फिंचंग अवीन राज्य में स्वापित कोई क्षेत्रीय कार्यालय।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
तथा उनका
स्वरूप।

सेवा में भर्ती किये
गये उम्मीदवारों
की राजिकता,
अधिवास तथा
चरित्र।

3. सेवा में इन नियमों के परिविष्ट क में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में बढ़िया करने या विभिन्न एदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अवश्य अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तिनिहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी अधिकृत सेवा में किसी पर पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(झ) भारतीय भूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, बङ्गाला तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जामिया, मलाबी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रबंग (ख), (ग), (घ) तथा (झ) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती अधिकारण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय वा ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भाँति वरिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय वा संस्था से राज्यिकता म हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सबह वर्ष की आंयु से कम या पैतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो । आयु ।
6. सेवा में किसी भी पद पर नियुक्तियाँ महानिवेशक द्वारा की जायेंगी । नियुक्ति प्राधिकारी ।
7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिणाम च के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्णवित परिणाम के खाना 4 में उत्तिलिखित योग्यताएँ तथा अनुभव न रखता हो :
- परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की प्रयोग्यता से अधिक उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिए लिखित रूप से कारण दिए जाएंगे ।
8. कोई भी व्यक्ति,— अयोग्यताएँ ।
- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से लागू होने से छूट दे सकता है ।
9. सेवा में भर्ती निर्मालिखित ढंग सेकी जायेगी,— भर्ती का ढंग ।
- (क) अधीक्षकों की दशा में,—
- (i) भूर्य लिपियों या संहायकों एवं लेखाकारों एवं कनिष्ठ आडिटरों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ख) स्टोर अधिकारी की दशा में—
- (i) वरिष्ठ स्टोरकीपर में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) मुख्य लिपिक की दशा में,—

(i) सहायकों एवं लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षकों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

टिप्पणी : “मुख्य लिपिक के पद के कर्तव्य और उत्तरदायित्व सहायकों एवं लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षकों तथा येष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों से अधिक महत्व की बानी जाती है।

(घ) सहायक एवं लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ आशुलिपिकों या आशुटंककों या लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) वरिष्ठ स्टोर कीपर की दशा में,—

(i) स्टोर कीपर में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) आशुटंकक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) आशुटंकक की दशा में,—

(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) 25 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(४) लिपिकों की दशा में—

(i) ३० प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) २० प्रतिशत युप "अ" कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(५) स्टोर कीपर की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण द्वारा ;

(2) अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां योग्यता जाव तक ज्येष्ठता के आधार पर की जाएंगी, किन्तु केवल ज्येष्ठता से ही ऐसी पदोन्नतियों वा कोई अधिकार नहीं देंगी।

(3) जब भी कोई पिती होती है अथवा हेने दली होती है, जब तक अन्यथा उपबन्धित नहो, नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करेगा कि वह नियुक्त किस प्रकार भरी जानी है।

10. (i) नेता में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो वो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा ।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में, किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनते दी जासकती है ; और

(१) स्थानापन नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत के दई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन रूप में काय किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पृष्ठ किये जाने का हमदार नहीं होगा।

(२) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि, के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती में अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्त्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में विसी ऐसी रीति में कारबाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(३) यिसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पृष्ठ कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह विसी अरथाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पृष्ठ कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्त्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कारबाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तों को अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे अवैश्य कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी इदि कोई है शामिल है, तो उस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके ज्येष्ठता।

ग्रन्ति सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियुक्त रहे समय बोर्ड द्वारा निश्चित घोषित कर भी नहीं किया जाएगा : -

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता नियन्त्रित नहीं की जाएगी, —

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्तति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ब) पदोन्तति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्तति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्तति या स्थानान्तरण किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिकान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में घृणवा उसके बाहर किसी स्थान पर, सेवा करने के लिए अदैत दिने जाने पर ऐसा करने के लिये दायी नहीं । सेवा करने का दायित्व ।

(2) सेवा के किसी तदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे अनुसार भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, —

- (i) किसी कम्पनी; संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण

हरियाणा राज्य के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, राज्य सरकार, नार निगन या स्त्रीय प्राधिकरण या। विविधालय;

- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसे कमांडो, उंगल या बड़िय निकाय चाहे वह निर्मित हो या नहीं, जिनमें पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई प्रन्थ राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निगन, जिसका विविध सरकार के पास न हो अरवा गैर-सरकारी निगन:

परन्तु सेवा के हिती भी सदस्य को उन्हीं संस्थानों के द्वारा बढ़िय (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी प्रन्थ राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

बेतन, छुट्टी, पेशन 13. बेतन, छुट्टी, पेशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में तथा अन्य मामलों स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये जा बनाये गये हों अरवा इसके बार अपनाये या बनाये जाएं।

अनुशासन, शास्त्रियां तथा अधीकारी 14. (1) अनुशासन, शास्त्रियों तथा अधीकारों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य तथा सक्षम प्राधिकारी तथा अधीकारी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा विवित सेवा (दण्ड तथा अधीकारी) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अधीकारी भी यह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में बताया गया हो।

टीका लगवाना : 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ : 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, अब तक उसने पहले भी भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के द्वारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।
18. इन नियमों में ही वात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।
19. इन नियमों में दो गई कोई भी वात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सेनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अनेक आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी: आरक्षण।
- परन्तु इन प्रत्यार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
20. पंजाब विभाग अधीनस्थ पद (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 1945 जहां तक इनका इन नियमों के अन्तर्गत शामिल पदों से सम्बन्ध है, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं: निरसन और शादृश्व।
- परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देविये नियम 3)

पढ़ों की संख्या

क्रमांक	पदनाम	पढ़ों की संख्या			बेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	प्रधीनिक	7	26	33	1,640--60--2,600--दक्षतारोध-- 75--2,900 रुपये ।
2	स्टोर अधिकारी	—	1	1	1,640--60--2,600--दक्षतारोध-- 75--2,900 रुपये ।
3	मुख्य लिपिक	—	44	44	1,400--40--1,600--50--2,300-- दक्षतारोध--60--2,600 रुपये ।
4	महायक एवं लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखापरीक्षक	16	258	274	1,400--40--1,600--50--2,300-- दक्षतारोध--60--2,600 रुपये ।
5	परिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक	7	10	17	1,400--40--1,600--50--2,300-- दक्षतारोध--60--2,600 रुपये ।
6	परिष्ठ रटोर कीपर	3	2	5	1,400--40--1,600--50--2,300-- दक्षतारोध--60--2,600 रुपये ।
7	कनिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक	—	6	6	1,200--30--1,560--दक्षतारोध-- 40--2,040 रुपये ।
8	आशु टेक्क	6	165	171	950--20--1,150--दक्षतारोध--25-- 1,500 रुपया 100 रु. निशेष बेतन ।
9	लिपिक	136	425	560	950--20--1,150--दक्षतारोध--25-- 1,500 रुपये ।
10	स्टोरकीपर	12	63	75	950--20--1,150--दक्षतारोध--25-- 1,500 रुपये ।

परिषिष्ट ड

(देखिए नियम १)

क्रम संख्या	पदताम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, विदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, विदि कोई हो
-------------	-------	---	--

1	2	3	4
---	---	---	---

1 अधीक्षक

मुख्य लिपिक के रूप में ५ वर्ष का अनुभव या सहायक एवं लेखाकार एवं कनिष्ठ आडिटर, या वरिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक के रूप में ४ वर्ष का अनुभव।

2 स्टोर मणिकारी

वरिष्ठ स्टोरकीपर के रूप में ५ वर्ष की सेवा।

3 मुख्य लिपिक

सहायक एवं लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखापरीक्षक के रूप में ५ वर्ष का अनुभव या सहायक एवं लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में दो वर्ष के अनुभव सहित वरिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

4 सहायक एवं लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक

वरिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक या आशु टंकक या लिपिक के रूप में ५ वर्ष का अनुभव।

5 वरिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक

कनिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक के रूप में ३ वर्ष या अनुभव और निम्नलिखित स्तर की आशुलिपिक तथा टाईप की विभागीय परीक्षा पास हो :—

(i) ४ प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 100 शब्द प्रतिमिन्ट की गति से

1

2

3

4

अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसका प्रतिलेखन, तथा ।

(ii) 4 प्रतिशत गलतियों की छूट लाहित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 16 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

6 वरिष्ठ स्टोर कीपर

स्टोर कीपर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।

7 कनिंघम वं तनमान
आशुलिपि

आशुटंकाक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और निम्नलिखित स्तर की आशुलिपि और डाईप में विभासीय परीक्षा पास हो ।

(i) 8 प्रतिशत गलतियों की छूट लाहित 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द लाहित मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; और

(ii) 8 प्रतिशत गलतियों की छूट लाहित 6.4 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

8 आशुटंका

(i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष या $10+2$ (व्यावसायिक) ;

(i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष $10+2$ (व्यावसायिक) ;

2

3

4

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

(iii) 8 प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; या

(iv) 30 शब्द प्रति मिनट की गति में अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

9 लिपिक (i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष या $10+2$ (व्यावसायिक) ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

(iii) नियुक्ति के बाद एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप परीक्षा पास करनी होगी । (iii) ग्रुप "घ" के किसी पद पर 5 वर्ष का अनुसव, तथा (iv) नियुक्ति के बाद एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप परीक्षा पास करनी होगी ।

10 स्टोकोपर (i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक प्रवदा इसके समकक्ष या $10+2$ (व्यावसायिक) ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या $10+2$ (व्यावसायिक) ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट "ग"

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	निवृत्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	अधीक्षक	महानिवेशक	1. छोटी शास्तियाँ— (i) वैयक्तिक फाईल (ग्राचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए बेतावनी; (ii) परिनिवाद ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय की हृदै धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की बेतन से बसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना बेतन वृद्धिया रोकना ;	निवेशक महानिवेशक सरकार	महानिवेशक सरकार	
2	स्टोर कीपर		2. बड़ी शास्तियाँ— (vi) संचयी प्रभाव से बेतन वृद्धिया रोकना ;			
3	मुख्य लिपिक		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति			
4	सदायंक/लेखाकार कनिष्ठ लेखा परीक्षक					
5	वरिष्ठ बेतनमान प्रशूलिपिक					
6	वरिष्ठ स्टोरकीपर					
7	कनिष्ठ बेतनमान प्रशूलिपिक					
8	आशुटंक					
9	लिपिक					
10	स्टोरकीपर					

की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसको भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनति किया गया था, पदानन्ति के लिए साधारणतः तथा रोक होगी ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनति किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरहूता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहूता होगी ।

परिणिष्ट "व"

[देखिये नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	परिवार	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए संशोधन	अपील प्राप्तिकारी
-------------	--------	----------------	-------------------------	-------------------

1 2

3

4

5

1 अधीक्षक	(क) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उत्ते थनुदेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन वी राशि में कमी करना; या रोकना;	महा निदेशक	सरकार
2 स्टोर प्रबिकारी			
3 मुख्य लिपिक			
4 राहगयक/लेखाकार/ कागित लेखापरीक्षक			
5 वरिष्ठ वेतनमान आयूलिपिक	(ब) रोका जे किसी भद्रस्य की, उसके अधिनियमों के लिये नियत आयू के हीने से अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति।		
6 वरिष्ठ स्टोरकीपर			
7 कनिष्ठ वेतनमान आयूलिपिक			
8 आपूर्तक			
9 लिपिक			
10 स्टोर कीपर			

बीना ईग्लेट्ट,
प्रायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 30th June, 1997

No. G. S. R. 54/Const./Art. 309/97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitutions of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of persons appointed to the Haryana Health Department Subordinate Offices Ministerial Staff (Group C), Service, namely :—

PART I —GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Health Department Subordinate Offices Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1997.

Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Board" means The Subordinate Services Selection Board, Haryana ;
- (b) "Director" means Director Health Services, concerned ;
- (c) "Director General" means Director General, Health Services, Haryana ;
- (d) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;
- (e) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;
- (f) "Institutions" means any institution established by law in force in the State of Haryana ; or any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;
- (g) "recognised university" means,—
 - (i) any university incorporated by law in India ;
 - (ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Panjab, Sind or Dacca University ; or
 - (iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;
- (h) "Service" means the Haryana Health Department Subordinate Offices Ministerial Staff (Group C), Service ;
- (i) "Subordinate Office" means any field office in Haryana under the control of Director General.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
Character of
Posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile and
character of
candidates
appointed to
Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or

4. Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1952 with the intention of permanently settling in India; or

- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary Eligibility Certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or institution last attended, if any, and similar Certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with him University, College, School or Institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years and more than thirty-five years of age on the last date of submission of application to the Board.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Director General.

Age.

Appointing
Authority.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he has the prescribed qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by the direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Superintendent,—

- (i) by promotion from amongst Head Clerks or Assistant-cum-Accountant-cum-Junior Auditor or Senior Scale Stenographers; or
- (ii) by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(b) in the case of Store Officer,—

- (i) by promotion from amongst Senior Store Keepers; or
- (ii) by transfer of a official already in the service of Government of India or any State Government;

(c) in the case of Head Clerk,—

- (i) by promotion from amongst Assistants-cum-Accountants-cum-Junior Auditors or Senior Scale Stenographers; or
- (ii) by transfer of a official already in Service of the Government of India or any State Government;

Note.—The post of Head Clerk involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of Assistants-cum-Accountants-cum-Junior Auditors and Senior Scale Stenographers.

- (d) in the case of Assistant-cum-Accountant-cum-Junior Auditor,—
 - (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographers or Steno-typists, or Clerks, or
 - (ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (e) in the case of Senior Scale Stenographer,—
 - (i) by promotion from amongst Junior Scale Stenographer; or
 - (iii) by transfer of an official already in the service of Government of India or any State Government;
- (f) in the case of Senior Store-keepers,—
 - (i) by promotion from amongst Store-keepers, or
 - (ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (g) in the case of Junior Scale Stenographer,—
 - (i) by promotion from amongst Steno-typist; or
 - (ii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (h) in the case of Steno-typist,—
 - (i) 75% by direct recruitment; and
 - (ii) 25% by promotion from amongst clerks; or
 - (iii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (i) in the case of Clerk,—
 - (i) 80% by direct appointment; and
 - (ii) 20% by promotion from amongst Group (D) employees; or
 - (iii) by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (j) in the case of Store-keeper,—
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer of an officials already in the service of the Government of India or any State Government;

(2) All promotions except otherwise, provided, shall be made by Selection based on merit and taking into consideration seniority but seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) As and when any vacancy occurs or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the method by which the same shall be filled in.

10 (1) A person appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :
 Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and

(b) if such person is appointed otherwise, than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

Probation.

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of the merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially

owned or controlled by the State Government, a Municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

- (ii) The Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) Any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay, leave,
pension and
other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time;

Discipline,
penalties and
appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (I) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Oath of
allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of
relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the orders of appointment if it is deemed expedient to do so.

Special
provision.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the members of Scheduled Castes, and other Backward Classes, Ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% of any time.

Repeal and Savings.

20. The Punjab Medical Department Subordinate posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1945, in so far as they relate to the posts covered under these rules are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX—A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of Posts			Scale of Pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Superintendent	7	26	33	Rs. 1640—60—2600—EB— 75—2900
2	Store Officer	—	1	1	Rs. 1640—60—2600—EB— 75—2900
3	Head Clerk	—	44	44	Rs. 1400—40—1600—50— 2300—EB—60—2600
4	Assistant-cum- Accountant-cum- Junior Auditor	16	258	274	Rs. 1400—40—1600—50—2300— EB—60—2600
5	Senior Scale Steno- grapher	7	10	17	Rs. 1400—40—1600—50— 2300—EB—60—2600
6	Senior Store-keeper	3	2	5	Rs. 1400—40—1600— 50—2300—EB—60—2600
7	Junior Scale Stenographer	..	6	6	Rs. 1200—30—1560—EB— 40—2040
8	Steno-typist	6	165	171	Rs. 950—20—1150—EB—25— 1500 Special pay Rs. 100
9	Clerk	135	425	560	Rs. 950—20—1150—EB—25—1500
10	Store-keeper	12	63	75	Rs. 950—20—1150—EB—25—1500

APPENDIX—B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifi- cations and experience, if any, for direct recruit- ment	Academic qualifications and experience, if any, for appoint- ment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Superintendent	—	5 years experience as Head Clerk or 8 years experience as Assistant-cum-Accountant-cum-Junior Auditor or Senior Scale Stenographer
2	Store Officer	—	5 years experience as Senior Store-keeper
3	Head Clerk	—	5 years experience as Assistant-cum-Accountant-cum-Junior Auditor or 5 years experience as Senior Scale Stenographer including two years experience as Assistant cum-Accountant-cum-Junior Auditor
4	Assistant-cum- Accountant-cum- Junior Auditor	—	5 years experience as Junior Scale Stenographer or Steno-typist or clerk
5	Senior Scale Stenographer	—	3 years experience as Junior Scale Stenographer and should have passed the departmental test in shorthand and type of the following standard :— (i) Speed in English shorthand @ 100 words per minute and transcription thereof @ 20 words per minute with exemption of 4% mistakes ; and (ii) Speed in Hindi Shorthand @ 80 words per minute and transcription thereof @ 16 words per minute with exemption of 4% mistakes.

1	2	3	4
6	Senior Store-keeper	..	5 years experience as Store-keeper
7	Junior Scale Stenographer	..	3 years experience as Steno-typist and should have passed the departmental test in shorthand and type of the following standard :— <ul style="list-style-type: none"> (i) Speed in English Shorthand @ 100 words per minute and transcription thereof @ 20 words per minute with exemption of 8% mistakes; and (ii) Speed in Hindi Shorthand @ 64 words per minute and transcription thereof @ 15 words per minute with exemption of 8% mistakes
8	Steno-typist	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric/Senior Secondary or Higher Secondary or equivalent/ 10+2(Vocational) (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; (iii) Hindi shorthand @ 64 words per minute and transcription thereof @ 11 words per minute; or (iv) English shorthand @ 80 words per minute and transcription thereof @ 15 words per minute. (v) English Shorthand @ 80 words per minute and transcription thereof @ 15 words per minute. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric/Senior Secondary or Higher Secondary or equivalent/ 10+2 (Vocational); (ii) One year experience as clerk; (iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard. (iv) Hindi shorthand @ 64 words per minute and transcription thereof @ 11 words per minute; or (v) English Shorthand @ 80 words per minute and transcription thereof @ 15 words per minute.
9	Clerk	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric/Senior Secondary or equivalent/10+2 (Vocational); 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric/Senior Secondary or equivalent/10+2 (Vocational)

1 2

3

4

		(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard;	(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;
		(iii) to qualify Hindi or English typing test at a speed of 25/30 words per minute within one year of appointment	(iii) 5 years experience on any group D post; (iv) shall qualify test in Hindi or English typing at a speed of 25 or 30 words per minute respectively within one year of appointment
10	Store-keeper	(i) Matric/Senior Secondary or equivalent/10+2 (Vocational); (ii) Knowledge of Hindi up to Matric standard	(i) Matric/Senior Secondary or equivalent/10+2 (Vocational); (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Superintendent	(i) reduction or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Director General	Government
2	Store Officer			
3	Head Clerk			
4	Assistant-cum-Accountant-cum-Junior Auditor	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
5	Senior Scale Stenographer			
6	Senior Store Keeper			
7	Junior Scale Stenographer			
8	Steno-typist			
9	Clerk			
10	Store-keeper			

VEENA EAGLETON,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
 Health Department Chandigarh.

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या राजकानिनि 31 / संविति / अनु० 309 / 2013.—भारत के 'संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रत्ति शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1997 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

"9वा.—(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उपर नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 8, 2013
(KRTK. 17, 1935 SAKA)

राजकार समर्थ-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार उईपीएस स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में विधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में रवीकार किया जायेगा।

- ब. कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनैट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैलेजमेन्ट होंगे।
- (5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष 'की' (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, दूसी टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।
- (6) निम्नलिखित घोष्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :—
- एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैकिनक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
 - राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल. आई.टी.)(पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से वैसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;
 - एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.ज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एचएससीआईटी);
 - उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवाग्रहण करते समय वैद्य है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पाच वर्ष की अवधि के लिए वैद्य माना जायेगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरैलइसिस ॲफ रेड्यल (रेड्यल नैंब फॉलजि) दोनों में से कोई ऊपरी अंग। नैंबस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेकिलनेशन डिजेनरेंटिव डिसऑःड्यूअः जो हाथ के लकवे तथा इसकी मासपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।

I. इन नियम सं प्रशिक्षण ख में:-

I. क्रन्त संख्या 7 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद 3 प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“10+2;”;

II. क्रन्त संख्या 8 के सामने,-

उ. खाना 3 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(i) 10+2;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

(iii) मद नियम 9 के दृष्टिगत लोप की गई।

(ख) खाना 4 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(i) 10+2;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

(iii) ग्रुप घ के किसी पद पर पांच वर्ष की सेवा;

(iv) मद नियम 9 के दृष्टिगत लोप की गई।

नवराज संधू
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 31/Const./Art.309/2013.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Health Department Subordinate Offices Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1997, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Health Department Subordinate Offices Ministerial (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Health Department Subordinate Offices Ministerial (Group C) Service Rules, 1997 (hereinafter called the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

- "(A) (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.
- (2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typist shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.
- (3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time.

APPENDIX C

[See rule 14(I)]

Sr. No. of posts	Designation	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Superintendent	Director General	Minor Penalties :	Director	Director General	Government
2	Store-Officer		(i) warning with a copy in the personal file (Character roll);			
3	Head Clerk		(ii) censure;			
4	Assistantant-cum-Accountant-cum-Junior-Auditor		(iii) withholding of promotion;			
5	Senior Scale Stenographer		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State			
6	Senior Store-Keeper		Government or to a company and Association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State;			
7	Junior Scale Senograhper		and			
8	Steno-typist		(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;			
9	Clerk		Major Penalties :			
10	Store-keeper		(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions			

1

2

3

4

5

6

7

as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

- (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade of post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;
- (viii) withholding of increments of pay with cumulative effect ;
- (ix) compulsory retirement ;
- (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;
- (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

- (4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.
- (5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.
- (6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):-
 - (i) M. Tech./B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;
 - (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
 - (iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
 - (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and

Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder affecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).".

3. In the said rules, in Appendix B.—

I against serial number 7, under column 3, for existing item (i) following item shall be substituted, namely:—

"(i) '10+2';"

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 8, 2013
(KRTK. 17, 1935 SAKA)

II against serial number 8,—

(a) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:-

- "(i) 10+2;
- (ii) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto Matric standard;
- (iii) Omitted in view of para 9A;"

(b) under column 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:-

- (i) 10+2;
- (ii) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto Matric standard;
- (iii) 5 years experience on any Group D post;
- (iv) Omitted in view of rule 9A."

NAVRAJ SANDHU,
Principal Secretary to Government Haryana,
Health Department, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 मई, 2008

संख्या ३०का० नि० १३/संवि०/अनु० ३०९/२००८.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (युप ग) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (युप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (युप ग) सेवा नियम, 1997 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, “पैन्टीस” शब्द के स्थान पर, “चालीस” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किय जायेगा, अर्थात् :—

“(i) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

(क) उप-अधीक्षक की दशा में,—

(i) सहायक-एवं-लेखाकार-एवं-कनिष्ठ लेखा परीक्षक या वरिष्ठ चेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) स्टोर अधिकारी की दशा में,—

(i) वरिष्ठ स्टोरकीपर में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) सहायक-एवं-लेखाकार-एवं-कनिष्ठ लेखा परीक्षक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ आशुलिपिकों या आशुटंककों या लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(अ) अनेक उत्तरान आशुलिपिक की दशा में,—

- (i) हनेष्ट उत्तरान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ब) दरिष्ठ टोरकीपर की दशा में,—

- (i) स्टोरकीपर में से पदोन्नति द्वारा ; या
(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) कनिष्ठ वैतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

- (i) आशुटंक में से पदोन्नति द्वारा ; या
(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) आशुटंक की दशा में,—

- (i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और
(ii) 25 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) लिपिक की दशा में,—

- (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और
 (ii) 20 प्रतिशत युप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(झ) स्टोरकीपर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
(ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

HARYANA GOVT. GAZ., MAY 13, 2008
 (VYSK. 23, 1930 SAKA)

कानून में परिशिष्ट के तथा ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

“परिशिष्ट-क

(देखिए नियम 3)

संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
2	3	4	5	6	
१	न्यू-जनरल	06	48	54	5500-175-8300 दक्षतारोध -175-9000 रुपये
२	न्यू-जनरल अधिकारी	-	1	1	5500-175-8300 दक्षतारोध -175-9000 रुपये
३	न्यू-दक-एवं-लेखाकार न्यू-कनिष्ठ लेखा परीक्षक	16	258	274	5000-150-7100 दक्षतारोध -150-7850 रुपये
४	न्यू-दक वेतनमान जारुलिपिक	07	10	17	5000-150-7100 दक्षतारोध -150-7850 रुपये
५	वरिष्ठ स्टोरकीपर	03	02	05	5000-150-7100 दक्षतारोध -150-7850 रुपये
६	कनिष्ठ वेतनमान जारुलिपिक	-	06	06	4000-100-4800 दक्षतारोध -100-6000 रुपये
७	न्यू-ट्रॉफिक	06	165	171	3050-75-3950 दक्षतारोध -80-4590 रुपये
८	न्यू-ट्रॉफिक	135	425	560	3050-75-3950 दक्षतारोध -80-4590 रुपये
९	न्यू-कीपर	12	63	75	3050-75-3950 दक्षतारोध -80-4590 रुपये

परिशिष्ट-ख

(देखिए नियम 7)

पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक ^{अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो}
संख्या	2	3
	4	
उप-अर्थ तत्व	—	सहायक-एवं लेखाकार-एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या सहायक एवं लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में 2 वर्ष के अनुभव सहित वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव;
2. स्टोर आ० वारी	—	वरिष्ठ स्टोरकीपर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ;
3. सहायक इव लेखाकार-एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक	—	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक या आशुटंकक या लिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव;
4. वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और निम्नलिखित स्तर की आशुलिपिक तथा टाईप की विभागीय परीक्षा पास होनी चाहिए : (i) 4 प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपिक और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; तथा (ii) 4 प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 16 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; तथा स्टोरकीपर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ; आशुटंकक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और निम्नलिखित स्तर की आशुलिपिक और टाईप में विभागीय परीक्षा पास हो :- (i) 8 प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपिक और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; और (ii) 8 प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।
5. वरिष्ठ स्टोरकीपर	—	
6. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपि	—	
7. आशुटंक	(i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष या 10+2 (व्यवसायिक); (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) 8 प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 64 शब्द मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; या (iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि	(i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष या 10+2 (व्यवसायिक); (ii) लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; (iv) 8 प्रतिशत गलतियों की छूट सहित 64 शब्द

HARYANA GOVT. GAZ., MAY 13, 2008
(VYSK. 23, 1930 SAKA)

2

3

4

		या और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	प्रतिमिनट की गति से हिन्दी आशुलिपिक और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; या (v) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि या और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।
३.	लिपिक	(i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या 10+2 (व्यवसायिक); (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) नियुक्ति के बाद एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप परीक्षा पास करनी होगी।	(i) मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या 10+2 (व्यवसायिक); (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; (iii) युप "घ" के किसी पद पर पांच वर्ष का अनुभव; तथा (iv) नियुक्ति के बाद एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप परीक्षा पास करनी होगी।
५.	स्टोरकीपर	(i) मैट्रिक/वरिष्ठ माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या 10+2 (व्यवसायिक); (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(i) मैट्रिक/वरिष्ठ माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या 10+2 (व्यवसायिक); (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।”।

५. उप नियमों में परिशिष्ट “ग” “घ” में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 1 से 10 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

1 2

1. उप-अधीक्षक
2. स्टोर अधिकारी
3. सहायक-एवं-लेखाका०-एवं-कनिष्ठ लेखा परीक्षक
4. वरिष्ठ वेतनमान आशु लिपिक
5. वरिष्ठ स्टोरकीपर
6. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
7. आशुरूकक
8. लिपिक
9. स्टोरकीपर

| १० |

नवराज सन्धु,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।